न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :–फूलाराम बनाम डूंगरराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :– 125/2025

निर्णय दिनांक :– 16/10/2025

1. फुलाराम पुत्र लिखमाराम जाति प्रजापत निवासी ढाणी बावरियानं तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. डूंगरराम पुत्र ज्ञानाराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया कच्छावतान तहसील तारानगर जिला चूरू
2. ननूराम पुत्र ज्ञानाराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया कच्छावतान तहसील तारानगर जिला चूरू
3. पदमसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी गोगटिया कच्छावतान तहसील तारानगर जिला चूरू
4. खिंवसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी गोगटिया बागावतान तहसील तारानगर जिला चूरू
5. महावीर पुत्र पूर्णाराम जाति प्रजापत निवासी ढाणी बावरियांन तहसील तारानगर जिला चूरू
6. मोमनराम पुत्र शेराराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया कच्छावतान तहसील तारानगर जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

उपस्थित :–

1. श्री गजराज सिंह राजवी अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री अजय खटोड़ अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण 2 ता 4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर वास्ते अप्रार्थी सं. 7

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि खाता सं. 13 में कृषिभूमि खसरा नं. 147/31 तादादी 2.1497 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी बावरियानं तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। जिसका एकमात्र खातेदार प्रार्थी है एवं उसी के कब्जे व अधिपत्य में है। उक्त खसरा नम्बर 147/31 जिसका एकमात्र खातेदार प्रार्थी है उसकी उतरी व उत्तरी–पश्चिमी सींव के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी सं. 1 व 2 डूंगरराम व नानूराम है जिनकी सींव प्रार्थी के खेत के चिपती हुई है जिसे सर्वेक्षण नक्शे में बरंग लाल मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त अप्रार्थी सं. 1 व 2 वर्तमान में जो सींव सर्वेक्षण नक्शा में विद्यमान है उसको आगे पिछे करते रहते है तथा कई बार जबरन प्रार्थी की खातेदारी कब्जे में पीलर इत्यादि रोपने की कोशिश करते है जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 के चिपती सींव के सर्वेक्षण नक्शे के अनुसार तारबंदी कर रखी है जिसको भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने काट भी दिया है इसलिये सींव पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ हमेशा विवाद बना रहता है इसलिये सींव पर सीमा चिन्ह लगाया जाना आवश्यक हो गया है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि

Rajendra

का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर विधिवत् रूप से चिन्हित किया जाना आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बर 147/31 के पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी तरफ के खातेदार पड़ौसी अप्रार्थी सं. 3 ता 6 है जिनके साथ सीमा के सम्बंध में कोई विवाद नहीं है लेकिन कानूनी पूर्ति के लिये उनको औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इस विवाद के सम्बंध में तहसीलदार तारानगर को अवगत करवाया जा चुका है लेकिन उन्होनें सक्षम न्यायालय में जाने के लिये कहा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित कृषिभूमि का लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है तथा राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर है इस कारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसील तारानगर को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी सं. 7 बनाया गया है। प्रार्थी एवं कृषिभूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अतः प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क 2 रूपये पर मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खाता सं. 13 में कृषिभूमि खसरा नं. 147/31 तादादी 2.1497 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी बावरियानं तहसील तारानगर को वर्तमान में सर्वेक्षण खातेदारी नक्शे के आधार पर सीमाचिन्ह लगाकर दर्शित किये जाने का आदेश फरमावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय खटोड़ ने वकालतनामा पेश किया और प्रार्थी के खातेदारी नक्शा के अनुसार सीमाचिन्ह दर्शित करवाने पर अनापत्ति जाहिर की। अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व 6 को रूक–रूक कर आवाज लगाई गई। उक्त अप्रार्थीगण ना ही तो असालतन एव ना ही वकालतन उपस्थित हुए। अतः दिनांक 18.08.2025 को अप्रार्थीण सं. 1, 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 7 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कृषिभूमि खाता सं. 13 में कृषिभूमि खसरा नं. 147/31 तादादी 2.1497 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी बावरियानं तहसील तारानगर जिला चूरू के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं। वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि खाता सं. 13 में कृषिभूमि खसरा नं. 147/31 तादादी 2.1497 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी बावरियानं तहसील तारानगर जिला चूरू सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)